विद्यार्थियों को दी यौन उत्पीड़न और पोक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी

संवाद सूत्र जागरण • सुन्नी : राजकीय महाविद्यालय धामी स्थित सोलह मील में महिला प्रकोष्ठ ने यौन उत्पीड़न और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पर व्याख्यान का आयोजन प्राचार्य डा. जनेश कपूर की अध्यक्षता में किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता प्राध्यापक कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान सांगटी शिमला की शिवानी शर्मा रहीं। उन्होंने यौन उत्पीड़न और पोक्सो एक्ट पर विद्यार्थियों को जानकारी दी।

धामी कालेज में व्याख्यान के दौरान उपस्थित मुख्यातिथि व अन्य • जागरण

उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न ऐसा बर्ताव है जो यौन भावना के साथ किया गया हो और दूसरे के लिए अनचाहा या अवांछित हो। इसके शिकार व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पोक्सो एक्ट या बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ करने वाले लोगों को सजा का प्रविधान है।

इसके तहत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक शोषण और उससे संबंधित विशाखा गाइडलाइंस पर भी उन्होंने विस्तार से बताया। महिला प्रकोष्ठ की संयोजक डा. नमिता के खागटा ने प्रमुख वक्ता और सभी का कार्यक्रम में आने और सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया। कार्यक्रम में डा. प्रवीण जरेट, डा. ज्ञानचंद, डा. रमेश, डा. दिनेश शर्मा, डा. उज्ज्वल राठौर, डा. कविता, डा. मनिला गुप्ता, डा. गीता, शकुंतला और निर्मला मौजूद रहीं।

धामी डिग्री कॉलेज में यौन उत्पीड़न और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पर किया जागरूक

दैनिक आवाज जनादेश / धामी , शिमला

राजकीय महाविद्यालय धामी स्थित सोलह मील मे महिला प्रकोष्ठ ने यौन उत्पीड़न और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पर व्याख्यान का आयोजन किया गया । कार्यक्रम प्राचार्य डॉ जनेश कपूर की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ। मंच संचालन डॉ दिनेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम मे बतौर मुख्य वक्ता विशिष्ठ प्राध्यापक कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान सांगटी, शिमला की शिवानी शर्मा रहे। उन्होंने यौन उत्पीड़न और पॉकसो एक्ट पर विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी देते र हुए बताया की यौन उत्पीड़न ऐसा बर्ताव है जो यौन भावना के साथ किया गया हो और दूसरे के लिए अनचाहा या अवांछित हो या यौन अभिविन्यास से संबंधित हो। इसके शिकार व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

पाकॅसो एक्ट या बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, पोनोंग्राफी और छेडछाड करने वाले लोगों को सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने विद्यार्थियो को बताया इसके तहत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है और शोषित बच्चों की पहचान का खुलासा करने की अनुमति अदालत ही दे सकती है अगर बिना अनुमति पहचान उजागर करे उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियो के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक शोषण और उससे संबंधित विशाखा गाइडलाइंस पर भी उन्होंने विस्तार से बताया इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ की संयोजन डॉ नमिता के खागटा ने प्रमुख वक्ता और सभी का कार्यक्रम मे आने और सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया।

कार्यक्रम मे डॉ प्रवीण जरेट, डॉ ज्ञानचंद, डॉ रमेश, डॉ नमिता के खागटा, डॉ दिनेश शर्मा, डॉ उज्वल राठौर, डॉ कविता कुमरा, डॉ मनिला गुप्ता, डॉ गीता, शकुंतला, निर्मला भी मौजूद रही । धामी कॉलेज में यौन उत्पीड़न और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पर व्याख्यान देते मुख्याथिति।

धामी कॉलेज में यौन उत्पीड़न पर किया जागरूक

महेंद्र कुमार, सुन्नी। राजकीय महाविद्यालय धामी स्थित सोलह मील में महिला प्रकोष्ठ ने यौन उत्पीड़न और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. जनेश कपूर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मंच संचालन डॉ. दिनेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता विशिष्ठ प्राध्यापक कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान सांगटी, शिमला की शिवानी शर्मा रहे। कार्यक्रम में डॉ. प्रवीण जरेट, डॉ. ज्ञानचंद, डॉ. रमेश, डॉ. नमिता के खागटा, डॉ. दिनेश शर्मा, डॉ. उज्ज्वल राठौर आदि मौजूद रहे।

WOMEN CELL
GOVT. COLLEGE DHAMI AT 16 MILE,SHIMLA
Organising
A Lecture on
POSCH & POCSO ACT
Resource Person
Shivani Sharma Senior Lecturer.
ACSTI(Agricultural Co-operative
Training Institute Sangti,Shimla
Education